विषय :—विभिन्न विभागों के सेवा नियमों को अन्तिम रूप देना या बनाना आदश सेवा नियमों का परिशोधन ।

———

क्या सभी वित्तायुक्त एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया संयुक्त पंजाब के अर्ध सरकारी पत्रांक 34-1 जी0एस0–11–66/3458, दिनांक 11/14 फरवरी 1966 (प्रति सलंग्न) की ओर ध्यान देंगे ।

2. आदर्श सेवा नियम जो उपरोक्त पत्र के साथ परिचालित किए गए उनका अब परिशोधन किया गया है कुछ आवश्यक धाराएं जो वर्तमान सेवा नियमों में बहुधा पहले से ही शामिल हैं, को परिशोधित आदर्श सेवा नियमों में जोड़ दिया गया है और इन नियमों की शब्दावली में भी कहीं कहीं छोटी मोटी तबदीलियां की गई हैं । क्योंकि परिशोधित आदर्श सेवा नियमों में कोई मौलिक तबदीलियां समाविष्ट नहीं की गई हैं, और जो नई धाराएं इनमें अब जोड़ी गई हैं वे बहुधा वर्तमान सेवा नियमों में पहले ही विद्यमान हैं, इसलिए परिशोधित नियम मुख्यतः उन विभागों के प्रयोग के लिए है जो अपने सेवा नियम अभी बना रहे हैं । अगर कुछ मौलिक उपबन्ध जो कि आदर्श सेवा नियमों में है पर वे किसी विभाग के मौजूदा सेवा नियमों में विद्यमान नहीं है, तो उस बारे में आवश्यक संशोधन करने के लिए कार्यवाई की जानी चाहिए ।

इस पत्र की कृपया पावती भेजी जाए ।

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सभी वित्तायुक्त हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति संशोधित आदर्श सेवा नियमों की प्रति सहित सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त ग्राम्बाला मंडल तथा सभी उपायुक्त हरियाणा को संयुक्त पंजाब के पृ0 क्रमांक 4129–I जी0 एस0 II–66/21646 दिनांक 20-8-66 (प्रति सलंग्न है) के संदर्भ में आगे मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

———